जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 25.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को बाईक से टक्कर लग जाने के कारण घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5996 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत विश्वनाथपुर से इवेंट सं0 **46662** द्वारा कालर ने पैदल जा रहे व्यक्ति को बाईक से टक्कर लगने के कारण दुर्घटना घायल 01 व्यक्ति (1. प्रदीप पुत्र रामभरत ग्राम फरेन्दिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 राजनाथ यादव, आ0 अनुराग यादव, हो0चा0 वीरेन्द्र चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,65,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,65,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 428/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता प्रदीप चौहान पुत्र रामभरोसा निवासी उस्का कला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम उस्का कला थाना कोतवाली खलीलाबाद के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 23.11.2024 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री जोकि दिनांक 21.11.2024 को विद्यालय गयी थी, के वापस न आने व काफी खोजबीन के बाद भी न मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 25.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमित कुमार, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 संघरतन, म0का0 पूजा चौहान।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 248/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन पुत्र चन्दु निवासी करमैनी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को मेहदावल रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 24.11.2024 को थाना मेहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहदावल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 25.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री योगेन्द्र यादव, का0 प्रदीप कुमार यादव।